

25/08
22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता व पक्षकार्यन
अनुपस्थित रहे। बार-2 आवाजे लगायी गई। कोई उपस्थित
नही हुआ। अग्निस आवाज सायं 5:00 बजे लगायी
गई। उभयपक्ष अनुपस्थित रहे। अतः न्यायालय हाजरा
द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा इसी क्वारंटर पर खारिज की
जाकर पत्रावली अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज
की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर क्वारंटर
काबिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोक)